| तिथि | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर<br>(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129) | पारित आदेश पर अनुपालन |
|---|---|---|

05.02.25

# न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।

## परमिशन वाद सं0—05/2024—25

काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 की धारा 46(i)(b) के तहत् परमिशन हेतु आदेश पत्र

—: आदेश पत्र :—

अभिलेख उपस्थापित। आवेदित भू—खण्ड की बिक्री अनुमति के विरूद्व आपति आमंत्रण हेतु आम इस्तहाऱ के तामिला के उपरांत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अंचल अधिकारी, देवरी के पत्रांक—58 दिनांक—28.01.2025 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित खतियानी रैयत का नाम बड़कु मांझी वगैरह है एवं बिक्रेता खतियानी रैयत का वंशज नहीं है। पंजी—II में रैयत का नाम कैला हेम्ब्रोम अंकित है। पंजी—II खोलने का आधार केवाला से है, केवाला का दाखिल खारिज होकर पंजी—II में पेज नं0 25 भोल्युम 2 पर जमाबंदी कायम हुआ है। पंजी—II रैयत का खतियानी रैयत से कोई सम्बंध नहीं है। भूमि धनराज हेम्ब्रोम के कब्जे में है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना देवरी के अंतर्गत आते है। बिक्रेता **श्री धनराज हेम्ब्रोम, पिता स्व0 कैला हेम्ब्रोम, ग्राम—महतोधरान, पो0—मछली, थाना देवरी, जिला—गिरिडीह** तथा क्रेता **श्रीमती सोसन मराण्डी, पति लक्ष्मण हेम्ब्रोम, ग्राम महतोधरान, पो0 मछली, थाना देवरी, जिला—गिरिडीह** के स्थानीय निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति (संथाल) जाति के है। बिक्री के बाद बिक्रेता के पास रकवा 3.00 एकड़ भूमि शेष बचता है। अंचल अधिकारी, देवरी द्वारा बिक्री करने की अनुशंसा की गई है।

**भूमि का ब्यौरा**

| मौजा | थाना का नाम | थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | बिक्री रकवा (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| महतोधरान | देवरी | 99 | 07 | 71 | 0.12 |
| | | | | कुल रकवा (बारह डिसमील) | **0.12** |

उक्त भूमि प्रस्तावित क्रेता **श्रीमती सोसन मराण्डी, पति लक्ष्मण हेम्ब्रोम, ग्राम महतोधरान, पो0 मछली, थाना देवरी, जिला—गिरिडीह** के पास बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

05.02.25

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

05.02.25

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

Digitally signed by BIJAY SINGH BIRUA
Date: 2025.08.18 13:41:05 +05:30
Location: 192.168.137.1